रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122024-259446
CG-DL-E-16122024-259446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/अग्रहायण 25, 1946
No. 709]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/AGRAHAYANA 25, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 771(अ).—गैस सिलिंडर नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 के साथ पठित विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं।

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर, निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 252-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों को गैस सिलिंडर (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. गैस सिलिंडर नियम, 2016 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 में,

क. खंड (xli) के बाद, निम्नलिखित खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xli क) "सूक्ष्म और लघु उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ज) और खंड (ड) में परिभाषित उद्यम अभिप्रेत है।

(xli ख) "सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप" से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में पंजीकृत तथा सा.का.नि. 127(अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 की राजपत्रित अधिसूचना के पैराग्राफ 1 के खंड (क) में यथापरिभाषित निकाय अभिप्रेत है।"

ख. खंड (liii) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(liii क) "महिला उद्यमी" से महिला के स्वामित्व और नियंत्रण वाला ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसकी पूंजी में उनका न्यूनतम 26 प्रतिशत वित्तीय हित शामिल है।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची V के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के लिए, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची-V

सभी फीस नियम-65 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार जमा की जाएगी।

(नियम 3,12,28,35,47,49,50,53,54,55,59,61,62 और 65 देखें)

क. अनुज्ञप्ति फीस

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति का प्रपत्र	किस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई है	अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त प्राधिकरण	फीस	फीस (रुपए में)	स्टार्टप सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए फीस	महिलाओं के लिए फीस (रुपए में)
1.	घ	संपीडित गैस से भरे या भरने के लिए आशयित सिलेंडरों का आयात एलपीजी के लिए बाल्व और रेगुलेटर का आयात	मुख्य नियंत्रक	प्रथम 100 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	2000	1000	400
				100 सिलेंडरों से अधिक किंतु 500 से अनधिक सिलेंडरों के लिए	4000	2000	800
				500 से अधिक सिलेंडरों पर	4000रु प्रत्येक अतिरिक्त 500	2000 रु प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों	800 रु प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों

					सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	या उसके किसी भाग के लिए	या उसके किसी भाग के लिए
				वाल्व और एलपीजी रेगेलेटर्स के आयात के लिए संवीक्षा फीस प्रति आवेदन	1000	500	200
2.	ङ	सिलेंडरों में संपीडित गैस भरने के लिए	मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक	संयंत्र में भरी जाने वाली प्रत्येक प्रकार की गैस के लिए अर्थात्, (क) विषैली, (ख) अविषैली और अज्वलनशील; (ग) अविषैली और ज्वलनशीलः (घ) विलीन एसिटिलीन गैसः (ड) एल.पी.जी. से भिन्न अविषैली और ज्वलनशील द्रवशील गैस अथवा (च) द्रवित पेट्रोलियम गैस, जैसा भी मामला हो।	5000	2500	1000
3.	च	(क) भरण परिसर से संलग्न भण्डारण शेड में सिलेंडरों में संपीडित गैस के भण्डारकरण के लिए	मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक	(i) विषैली और ज्वलनशील गैसों के लिए (स्थायी और द्रवित):			
				100 सिलेंडरों से अनधिक	2000	1000	400
				100 सिलेंडरों से अधिक किंतु 500 से अनधिक	4000	2000	800
				500 सिलेंडरों से अधिक,	4000रु प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके	2000 रु प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके	800 रु प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके

		(ख) भरण परिसर से संलग्न भण्डारण शेड में सिलेंडरों में			किसी भाग के लिए	किसी भाग के लिए	किसी भाग के लिए
		संपीडित गैस के भण्डारण के लिए	नियंत्रक	(ii) अविषैली और अज्वलनशील गैसों के लिए (स्थायी और द्रवित):	2000	1000	400
				500 सिलेंडरों से अनधिक	4000 रु प्रत्येक अतिरिक्त	2000 रु प्रत्येक अतिरिक्त	800 रु प्रत्येक अतिरिक्त
				500 सिलेंडरों से अधिक	500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए
				(iii) द्रवित पेट्रोलियम गैसों के लिए:	1000	500	200
				100 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 500 कि.ग्रा. से अनधिक	2000	1000	400
				500 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 2000 कि.ग्रा. में अनधिक	4000	2000	800
				2000 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 5000 कि.ग्रा. से अनधिक	6000	3000	1200
				5000 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 10,000 कि.ग्रा. से अनधिक	2000 रु प्रत्येक अतिरिक्त 5000 कि.ग्रा. या उसके	1000 रु प्रत्येक अतिरिक्त 5000 कि.ग्रा. या उसके	400 रु प्रत्येक अतिरिक्त 5000 कि.ग्रा. या उसके

					किसी भाग के लिए	किसी भाग के लिए	किसी भाग के लिए
				10,000 कि.ग्रा. से अधिक के लिए	2000	1000	400
				(iv) विलीन स्थिति में सिलेंडरों में भरी एसिटिलीन गैस के लिए:			
				200 सिलेडरों से अनधिक	2000 रु प्रत्येक अतिरिक्त	1000 रु प्रत्येक अतिरिक्त	400 रु प्रत्येक अतिरिक्त
				200 सिलेडरों से अधिक के लिए	200 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	200 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	200 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए
4.	छ	किसी मूल स्टेशन, उपस्टेशन या किसी सी.एन.जी. आन लाइन स्टेशन से आटोमोटिव ईंधन के रूप में सी.एन.जी. के वितरण के लिए	मुख्य नियंत्रक	किसी मूल स्टेशन, उपस्टेशन या किसी सी.एन.जी. आन लाइन स्टेशन से आटोमोटिव ईंधन से रूप में सी.एन.जी. के वितरण के लिए	10000	5000	2000

ख अनुज्ञप्ति फीस से भिन्न फीस

क्र.सं.	प्रयोजन	फीस (प्रस्तावित)	रुपए (प्रस्तावित)	स्टार्टप सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए फीस	महिलाओं के लिए फीस (रुपए में)
1.	नियम 3 के उपनियम (1) के खंड ख के अधीन भरण अनुज्ञा जारी करना	प्रथम 100 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए संवीक्षा फीस।	1000	500	200

		100 सिलेंडरों से अधिक के लिए	2000 रु प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	1000 रु प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए	400रु प्रत्येक अतिरिक्त 500 सिलेंडरों या उसके किसी भाग के लिए
		टिप्पणः सिलेंडरों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, भरे हुए और निर्यात के उद्देश्य से बने सिलेंडरों के लिए केवल लागू फीस, केवल संवीक्षा फीस	1000	500	200
2.	नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सिलेंडरों या वाल्वों या एलपीजी रेगुलेटरों के विनिर्माण के लिए अभिकल्पना का अनुमोदन	(क) विनिर्माण एकक अनुमोदन जारी करने के लिए पहली बार के लिए एक वर्ष की विधिमान्यता फीस के साथ संवीक्षा फीस	10000	5000	2000
		(ख) नई अभिकल्पना के पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए	2000	1000	400
		(ग) अभिकल्पना में कोई बदलाव होने पर पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए	1000	500	200
		(घ) सिलेंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटरों के विनिर्माण के एककों के नवीकरण के लिए वार्षिक फीस	2000	1000	400
	उप नियम 3 (4) के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता द्वारा सिलेंडर, वाल्व, एलपीजी रेगुलेटर के विनिर्माण के लिए डिजाइन का अनुमोदन	(क) विनिर्माण एकक अनुमोदन जारी करने हेतु पहली बार के लिए एक वर्ष की विधिमान्यता फीस के साथ संवीक्षा फीस	6,50,000	325000	130000
		(ख) नए डिजाईन के पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए	65000	32500	13000
		(ग) डिजाइन में किसी बदलाव के लिए पश्चात्वर्ती अनुमोदन के लिए	13000	6500	2600
		(घ) सिलेंडर, वाल्व और रेगुलेटरों के विनिर्माण एककों के नवीकरण की वार्षिक फीस	32,500	16250	6500

3.	नियम 28 के उपनियम (2) के अधीन सिलेंडरों का संपरिवर्तन	पहले 10 सिलेंडरो या उसके भाग के लिए संवीक्षा फीस 10 से अधिक सिलेंडरों के लिए	400 1000 रु प्रत्येक 100 सिलेंडरों के लिए	200 500 रु प्रत्येक 100 सिलेंडरों के लिए	80 200 रु प्रत्येक 100 सिलेंडरों के लिए
4.	नियम 35 के अधीन सिलेंडर परीक्षण केंद्र का अनुमोदन तथा नियम 12 के अधीन वेल्डेड या ब्रेज्ड सिलेण्डरों का हॉट रेपेयर	पहली बार के लिए एक वर्ष की विधिमान्य फीस के साथ संवीक्षा फीस सिलेंडर परीक्षण या हॉट रिपेयर अनुमोदन के लिए वार्षिक नवीकरण फीस	10000 2000	5000 1000	2000 400
5.	नियम 47 या नियम 53 के अधीन विनिर्दिशों या रेखांकनों का पूर्व अनुमोदन	संवीक्षा फीस	1000	500	200
6.	नियम 54 के अधीन अनुज्ञप्ति का संशोधन	संवीक्षा फीस	1000	500	200
7.	नियम 61 के अधीन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना	संवीक्षा फीस	1000	500	200
8.	नियम 62 के अधीन अनुज्ञप्ति की अधिप्रमाणित प्रति जारी करना	संवीक्षा फीस	1000	500	200
9.	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील के लिए, यदि ऐसी अपील को केंद्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक से प्राथमिकता दी जाती है, तो	संवीक्षा फीस	1000	500	200

1. उपर्युक्त उप-नियम 1 में उल्लिखित फीस में छूट का दावा करने के प्रयोजन हेतु, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्:-

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यम- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

बशर्ते कि उपर्युक्त उक्त छूट, केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम पर लागू होगी और यह मध्यम स्टार्टअप पर लागू नहीं होगी।

(ख) सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप-उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में पंजीकरण का दस्तावेजी साक्ष्य।

बशर्ते कि उपर्युक्त उक्त छूट केवल सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप पर लागू होगी और यह मध्यम स्टार्टअप पर लागू नहीं होगी।

(ग) महिला उद्यमी- फर्म या कंपनी के स्वामी अथवा निदेशक का दस्तावेजी साक्ष्य।

2. ऐसे मामले में जहां, सूक्ष्म और लघु उद्यम या सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप का स्वामित्व या नियंत्रण महिला द्वारा किया जाता है, तो जो भी शुल्क कम होगा, वह लागू होगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, किसी भी स्तर पर गलत या भ्रामक पायी जाती है, तो ऐसे अनुमोदन या अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।

[फा. सं. पी- 13033/92/2023-EXPLOSIVE]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

नोटः मूल नियम, भारत के आधिकारिक राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. 1081(अ), दिनांक 22 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 189(अ) दिनांक 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 231(अ) दिनांक 15 मार्च, 2018, सा.का.नि. 44 (अ) दिनांक 23 जनवरी, 2019 तथा सा.का.नि. 44 (अ) दिनांक 20 जनवरी, 2022 द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICAION

New Delhi, the 11th December, 2024

G.S.R. 771(E).—The draft of the following rules to amend the Gas Cylinder Rules, 2016, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 read with section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252-A, Udyog Bhavan, New Delhi – 110011 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULE

1. **Short titled and commencement:-**

(1) These rules may be called the Gas Cylinders (Amendment) Rules,

2024.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

(3) In rule 2 of the Gas Cylinders Rules, 2016 (herein after referred to as said rules),

a. after clause (xli), the following clauses shall be inserted namely:-

“(xlia) “Micro and Small Enterprises” means an enterprise defined in clause (h) and clause (m) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

(xlib) “Micro & Small Startup” means an entity registered with Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry and as defined in clause (a) of paragraph 1 of the Gazette Notification having G.S.R. 127(E) dated 19th February, 2019”.

b. after clause (liii), the following clause shall be inserted namely:-

"(liiia) "Women Entrepreneur" means an enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 26% of the capital".

3. For clause (A) and clause (B) of the Schedule V of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

SCHEDULE- V

ALL THE FEES SHALL BE PAID IN THE MANNER PRESCRIBED IN SUB-RULE (2) OF RULE 65

(See rules 3, 12, 28, 35, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 61, 62 and 65)

A. LICENCE FEES

Sl. No.	Form of License	Purpose for which granted	Authority empowered to grant license	Fees	Fee (in Rs.)	Fees for Micro & Small Enterprises including Startup (in Rs)	Fees for Women (in Rs)
1.	D	To import cylinder filled or intended to be filled with compressed gas to import valves and regulators for LPG	Chief Controller	For the first 100 nos. cylinders or part thereof.	2000	1000	400
				Exceeding 100 nos. but not exceeding 500 nos. cylinders.	4000	2000	800
				Exceeding 500 nos. of cylinders	Rs. 4000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof.	Rs. 2000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof.	Rs. 800/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof.
				Scrutiny fees for Import of Valves and LPG Regulators each application.	1000	500	200
2.	E	To fill compressed gas in cylinders	Chief Controller or Controller	For each type of gas filled in the plant, namely (a) toxic, (b) non-toxic and non flammable, (c) non-toxic and flammable, (d) dissolved acetylene gas, (e) non-toxic and flammable liquefiable gas other than LPG or (f) liquefied petroleum gas, as the case may be.	5000	2500	1000
3.	F	a. To store compressed gas in cylinders in storage shed attached to the filling premises.	Chief Controller or Controller	i. For toxic and flammable gases (permanent as well as liquefied). Not exceeding 100 nos. cylinders.	2000	1000	400
		b. To store compressed gas in cylinders in storage shed other than	Controller	Exceeding 100 nos. but not exceeding 500 nos. cylinders	4000	2000	800

		attached to the filling premises		Exceeding 500 nos. of cylinders,	Rs. 4000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof.	Rs. 2000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof.	Rs. 800/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof.
				ii. For non-toxic and non-flammable gases (permanent as well as liquefied): Not exceeding 500 nos. of cylinders	2000	1000	400
				Exceeding 500 nos. of cylinders,	Rs. 4000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof	Rs. 2000/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof	Rs. 800/- for every additional 500 nos. of cylinders or part thereof
				iii. For liquefied petroleum gases:	1000	500	200
				Exceeding 100 Kg. But not exceeding 500 kgs	2000	1000	400
				Exceeding 500 Kg. But not exceeding 2000 kgs	4000	2000	800
				Exceeding 2000 Kg. But not exceeding 5000 kgs Exceeding 5000 Kg. But not exceeding 10,000 Kgs	6000	3000	1200
				Exceeding 10,000 Kg.	Rs. 2000/- every additional 5000 Kg. or part thereof.	Rs. 1000/- every additional 5000 Kg. or part thereof.	Rs. 400/- every additional 5000 Kg. or part thereof.
				iv. For acetylene gas contained in cylinders in dissolved state	2000	1000	400
				Not exceeding 200 cylinders Exceeding 200 nos. of cylinders	Rs. 2000/- for every additional 200 nos. of cylinders or part thereof.	Rs. 1000/-for every additional 200 nos. of cylinders or part thereof.	Rs. 400/- for every additional 200 nos. of cylinders or part thereof.
4.	G	To dispense CNG as	Chief Controller	To dispense CNG as automotive fuel from	10,000	5000	2000

		automotive fuel from a mother station, daughter station or a CNG online station		a mother station, daughter station or a CNG online station			

B. Fees other than License Fees

Sl. No.	Purpose	Fees (proposed)	Rupees (proposed)	Fees for Micro & Small Enterprises including Startup (in Rs)	Fees for Women (in Rs)
1.	Issue of filling permission under clause B of sub-rule (1) of rule 3	Scrutiny fee for the first 100 nos. of cylinders or part thereof. Exceeding 100 nos. of cylinders Note : Fee applicable for the cylinders filled and meant for export purpose irrespective of the nos of cylinder, scrutiny fee Only	1000 Rs. 2000/- for every additional 500 cylinders or part thereof 1000	500 Rs. 1000/- for every additional 500 cylinders or part thereof 500	200 Rs. 400/- for every additional 500 cylinders or part thereof 200
2.	Approval of design for manufacture of cylinder or valve or LPG regulators under sub-rule (3) of rule 3	a. Scrutiny fee for grant of manufacturing unit approval, with one year validity fee for the first time b. For subsequent approval of new design c. For subsequent approval of any change in design d. Annual fee for renewal of cylinder, valve and LPG, regulator manufacturing units.	10,000 2000 1000 2000	5,000 1000 500 1000	2000 400 200 400
	Approval of design for manufacture of cylinder, valve, LPG regulator under sub rule 3(4) by foreign manufacturer	a. Scrutiny fee for grant of approval for manufacturing unit with one year validity fee for the first time. b. For subsequent approval of new design c. For subsequent approval of any change in design d. Annual fees for renewal of cylinders, valves and, regulators manufacturing units.	6,50,000 65,000 13,000 32,500	3,25,000 32,500 6,500 16,250	1,30,000 13,000 2,600 6,500
3.	Conversion of cylinder under sub-rule (2) of rule 28	Scrutiny fee for the first 10 nos. of cylinders or part thereof. Exceeding 10 nos. of cylinders	400 Rs. 1000/- for every 100 numbers of Cylinders	200 Rs. 500/- for every 100 numbers of Cylinders	80 Rs. 200/- for every 100 numbers of Cylinders
4.	Approval of cylinder testing station under rule 35 and hot repair of welded or brazed cylinder under rule 12	Scrutiny fee with one year validity fee for the first time. Annual renewal fee for cylinder testing or hot repair approval.	10,000 2000	5,000 1000	2000 400

5.	Prior approval of specifications and plans under rule 47 or 53	Scrutiny fee	1000	500	200
6.	Amendment of licence under rule 54	Scrutiny fee	1000	500	200
7.	Issue of duplicate copy of licence under rule 61	Scrutiny fee	1000	500	200
8.	Issue of authenticated copy of licence under rule 62	Scrutiny fee	1000	500	200
9.	For appeal against order of a licensing authority if such appeal is preferred to central Govt. or Chief Controller	Scrutiny fee	1000	500	200

1. For the purpose of claiming relaxation in fees as mentioned in sub-rule (1) above, the applicant shall submit the following documents, namely:-

(a) Micro and Small Enterprises - Certificate issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

Provided that, above said relaxation shall only be applicable to Micro and Small Enterprises and not for Medium Enterprises.

(b) Micro and Small Startup - Documentary evidence towards registration with Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry

Provided that, above said relaxation shall only be applicable to Micro and Small Startup and not for Medium Startup.

(c) Women Entrepreneur - Documentary evidence towards Proprietor or Director of the firm or company

2. In case where Micro and Small Enterprises or Micro and Small Startup owned and controlled by a woman, the fees whichever is lower shall be applicable.

Provided that if information submitted by the applicant, is found to be false or misleading at any stage, the approval or license shall be liable to be cancelled".

[F. No. P-13033/92/2023-EXPLOSIVE]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number 1081(E) dated 22nd November, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 189(E) dated 27th February, 2018, G.S.R. 231(E) dated 15th March 2018, G.S.R. 44(E) dated 23rd January, 2019 and G.S.R. 44(E) dated 20th January 2022

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA